

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक:- / 14 निफा

नाथूराम पुत्र कलियानसिंह, जाति गुर्जर निवासी
ग्राम जखोदा, तहसील बानमौर, जिला मुरेना
म0प्र0

-----आवेदक / निगरानीकर्ता
बनाम

शासन पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
-----अनावेदक / प्रतिनिगरानीकर्ता

// आ दे श //

// आज दिनांक 02-09-2014 को पारित किया गया //

- 1- निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 397 जा0फो0 का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है । जिसमें निगरानीकर्ता ने जे0एम0एफ0सी0 गोहद पीठासीन अधिकारी श्री केशवसिंह के द्वारा अप0क्रं0 141/14 में धारा 151 द0प्र0सं0 का आवेदनपत्र निरस्तगी वाबत् आदेश दिनांक 2-8-14 को पारित किया गया है जिससे व्यथित होकर वर्तमान निगरानी पेश की गयी है ।
- 2- वर्तमान पुनरीक्षण के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा ट्रेक्टर चोरी के संबंध में जो कि ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी0-06-ए0ए0-9080 वाबत् फरियादी जगमोहन की रिपोर्ट पर अप0क्रं0 141/14 दर्ज किया गया है । उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान यह तथ्य आया है कि ग्राम जखोदा थाना बानमौर जिला मुरेना में फार्म ट्रेक 45 ट्रेक्टर जिसका इंजन नम्बर ई 2304800 मेड नं0 8045 एल0एम0एक्स में लगे हुये हैं । इस आधार पर लोहे के प्लाउड तथा उपरोक्त ट्रेक्टर की जप्ती ग्राम जखोदा से की गयी है ।
- 3- उपरोक्त ट्रेक्टर को सुपुर्दगी वाबत् आवेदनपत्र आवेदक नाथूराम जो कि उक्त ट्रेक्टर का स्वामी होना बताते हुये पेश किया गया है । उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 451 जा0फो0 अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 21-8-14 को निरस्त किया गया है ।
- 4- निगरानीकर्ता के द्वारा अपनी निगरानी मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गयी है कि प्रार्थी का ट्रेक्टर एम0पी06 ए0ए0 9080 का अपराध से कोई भी संबंध सरोकार नहीं है । न्यायालय के द्वारा मनमाने तौर से आदेश पारित करते हुये आवेदनपत्र निरस्त किया गया है

जिसमें कि न्यायालय ने आवेदनपत्र निरस्त करने में कानूनी भूल की है । पुलिस के द्वारा ट्रेक्टर का इंजन नम्बर उल्लेख करते हुये केफियत न्यायालय में पेश की गयी है । इस वाबत् स्पष्ट जानकारी भी पुलिस से नहीं मंगायी गयी बल्कि आलोच्य आदेश बिना आधारों के पारित कर दिया गया । ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त करते हुये ट्रेक्टर सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया गया है ।

5- राज्य की ओर से ए०पी०पी० ने अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को उचित होना बताया है ।

6- निगरानी के संबंध में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 21-8-14 वैधता, औचित्य एवं शुद्धता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ?

// निष्कर्ष के आधार //

7- पुनरीक्षणकर्ता अभिभाषक ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह बताया है कि आवेदक नाथूराम प्रश्नाधीन ट्रेक्टर जिसका कि इंजन नं० ई 2304800 है जो कि पुलिस के द्वारा जप्ती पत्रक में दर्शाया गया है उसका बैध स्वामी है । उक्त ट्रेक्टर मात्र इस आधार पर जप्त किया गया कि चोरी का कोई पिलाउ उसमें लगा हुआ था जबकि उक्त ट्रेक्टर का अपराध से कोई संबंध नहीं है । ट्रेक्टर थाने पर अधिक दिनों तक खड़ा रहने से खराब हो सकता है जो कि बिल्कुल अभी नया ट्रेक्टर है ।

8- उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । केश डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा इंजन क्रमांक ई 2304800 मॉडल नं० एफ०टी०४५ एल०एम०एक्स तथा चेसिस नं० टी०२३००४९७ की जप्ती की गयी है । उक्त संबंध में रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जो कि रजिस्ट्रेशन अर्थोटी चम्बल संभाग मुरेना के द्वारा जारी किया गया है । उससे स्पष्ट है कि उक्त इंजन एवं चेसिस नम्बर का ट्रेक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम०पी०-०६-ए०ए०९०८० जिसका कि आवेदक पंजीकृत स्वामी है । ट्रेक्टर में लगे हुये पिलाउ अलग किये जा सकते हैं । ऐसी दशा में मात्र पिलाउ के कारण संपूर्ण ट्रेक्टर को रोके रखना उचित नहीं होगा । ट्रेक्टर अधिक दिनों तक खड़े रहने से खराब हो सकता है ।

9- अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा मात्र इस आधार पर आवेदनपत्र निरस्त किया गया है कि प्रकरण में जप्ती पत्रक में वाहन के रजिस्ट्रेशन क्रमांक का उल्लेख नहीं है तथा अनुसंधान अभी जारी है । किन्तु रजिस्ट्रेशन अर्थोटी के द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र जो कि सही होना दर्शित होता है उसके अनुसार वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम०पी०-०६-ए०ए०९०८० है । उक्त ट्रेक्टर की अनुसंधान हेतु आवश्यकता होना भी नहीं कहा जा सकता । मात्र उसके पिलाउ जो कि चोरी की विषय वस्तु होना बतायी जा रही है उससे अलग किया जा

सकता है ।

10— उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ विचारण न्यायालय का उनके द्वारा पारित आदेश प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में तथा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित **अम्बा भाई देशाई बनाम स्टेट** में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आदेश वैधानिक होना नहीं कहा जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21-8-14 अपास्त किया जाता है ।

11— आवेदक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त ट्रेक्टर के संबंध में मूल कागजात रजिस्ट्रेशन जो कि दिनांक 3-9-14 के उपरांत का भी हो तथा बीमा से संबंधित कागजात पेश करने पर उनके अवलोकन पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय आवेदक की ओर से पांच लाख रुपये का सुपुर्दगीनामा एवं एक लाख रुपये का जमानतनामा विधि अनुसार सभी शर्तों को अधिरोपित करते हुये ट्रेक्टर सुपुर्दगीनामें पर प्रदान किया जाये । यह स्पष्ट किया जाता है कि ट्रेक्टर सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने के पूर्व उसमें लगे हुये पिलाउ अलग कर मात्र ट्रेक्टर ही सुपुर्दगी नामें पर दिया जाये ।

12— आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
जिला भिण्ड